# प्रेस नोट 25.08.2023

**सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक धार्मिक कमेंट करने का आरोपी गिरफ्तार–**

जनपद मऊ सोशल मीडिया सेल को सोशल मीडिया पर एक प्रकरण प्राप्त हुआ जिसमे एक व्यक्ति द्वारा आपत्तिजनक धार्मिक कमेंट किया गया है। प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 315/23 धारा 295,505(2) भादवि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना कोतवाली पुलिस तथा साइबर सेल द्वारा प्रकरण की जांच की गयी तो ज्ञात हुआ कि उक्त पोस्ट अभियुक्त एजाज अहमद पुत्र अल्तार्फूरहमान निवासी मलिकटोला थाना कोतवाली द्वारा की गयी है, जिसको आज दिनांक 25.08. 2023 को रौजा से गिरफ्तार कर जेल भेजा हा गया है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही भी की जा रही है।

दिनांक 15.08.2023 को सोशल मीडिया सेल मऊ पुलिस को एक वीडियो प्राप्त हुआ। जिसमें कुछ लडकों द्वारा, जो मोटरसाइकिल सवार है, एक ई–रिक्सा वाहन पर बैठी दो महिलाओं का पीछा किया जा रहा है तथा उनको डराते–धमकाते और टिप्पणी भी करते हुए उनका विडियो बना रहे है। उक्त विडियो के सम्बन्ध में लोगो द्वारा काफी आपत्ति तथा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था।

शासन द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन, नारी सम्मान) को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए मऊ पुलिस द्वारा इस वीडियो का स्वतः संज्ञान लिया गया तथा थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 314/23 धारा 354क,506 भादवि0 व धारा 67 आइटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों के गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। इस क्रम में आज दिनांक 25.08.2023 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा से उक्त प्रकरण से सम्बन्धित एक अभियुक्त मो0 रेयाज पुत्र अबुल कैश निवासी न्याज मुहम्मदपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है तथा अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ अग्रीम विधिक कार्यवाही भी की जा रही है।

**<u>शासन स्तर पर चिन्हित माफिया तथा आईआर गैंग 212 का सरगना रमेश सिंह उर्फ काका द्वारा अपराध व अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से बना ईंट भठ्ठा व ईंट (कुल लगभग 01 करोड़ 24 लाख रुपये कीमती) अन्तर्गत धारा 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट जब्त किया गया।</u>**

संगठित अपराध/अपराधियों के विरूद्ध जनपद मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.08.2023 को क्षेत्राधिकारी मधुबन व भारी संख्या में पुलिस बल की उपस्थिति में शासन स्तर पर चिन्हित माफिया तथा आईआर गैंग 212 का सरगना रमेश सिंह उर्फ काका पुत्र रामबृक्ष सिंह निवासी कैथोली थाना सरायलखंसी के विरुद्ध थाना सरायलखंसी में मु0अ0सं0 232/29 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है जिसके द्वारा अपराध व अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से अपने सगे साले लल्लन सिंह पुत्र स्व0 शिववचन निवासी पिण्डोहरी थाना हलधरपुर जनपद मऊ की पत्नी सुनैना के नाम से ग्राम मुस्तफाबाद थाना हलधरपुर मऊ में स्थित अ0सं0 521 रकबा 0–891हे0 में एल0एस0 ईंट उद्योग (एल0एस0 मार्का ईंट भठ्ठा) अनुमानित कीमत लगभग 75 लाख रुपये व भठ्ठे पर मौजूद लगभग 07 लाख ईंटे अनुमानित कीमत लगभग 49 लाख रुपये कुल कीमत लगभग 01 करोड़ 24 लाख रुपये को अन्तर्गत धारा 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट कुर्क किया गया ।

उल्लेखनीय है कि रमेश सिंह उर्फ काका व उसके साले लल्लन सिंह की पत्नी सुनैना सिंह के पास वैध आय का ऐस कोई स्रोत नही था जिससे उक्त ईंट भठ्ठा संचालित किया जा सके। उक्त रमेश सिंह उर्फ काका के विरुद्ध विभिन्न जनपदों में कुल 67 अभियोग पंजीकृत हैं।

**गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अरविंद सिंह द्वारा अवैध धन से अर्जित स्कार्पियो वाहन (लगभग 07 लाख 30 हजार रुपये कीमती) को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट जब्त किया गया–**

संगठित अपराध/अपराधियों के विरूद्ध मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.08.2023 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 253/21 धारा 3(1) यूपी गिरोह बन्द एंव असामाजिक क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अभियुक्त अरविंद सिंह पुत्र बसावन सिंह निवासी पखईपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ द्वारा अवैध धन से अर्जित सम्पत्ति स्कार्पियो वाहन (यूपी54एए1011) लगभग 07 लाख 30 हजार रुपये कीमती अन्तर्गत धारा 14(1) यूपी गिरोह बन्द एंव असामाजिक क्रिया कलाप निवारण अधिनियम जब्त किया गया।

**एक शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से मंदिरों से चोरी हुवा 08 घण्टा व चोरी के अन्य सामान बरामद–**

आज दिनांक 25.08.2023 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान रइसा से रामआशीष यादव उर्फ फलहारी बाबा उर्फ रामदास पुत्र बालेश्वर यादव निवासी धर्मपुर विसूनपुर थाना मधुबन जनपद मऊ के कब्जे से मन्दिरों से चोरी हुआ कुल 08 अदद पीतल का घण्टा चोरी करने में प्रयुक्त अन्य सामान छेनी, सब्बल, रस्सी, लोहे काटने का आरी, ब्लेड व कई रिन्च बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त चोरी के घण्टें थाना कोपागंज अन्तर्गत इन्दारा के दुर्गामाता मन्दिर, थाना दोहरीघाट अन्तर्गत बेलौली सोनबरसा के मंदिर तथा थाना घोसी अन्तर्गत पिढवल में भोलेनाथ मन्दिर से चोरी हुए थे। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पूर्व में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 139/23 धारा 380 भादवि0 में धारा 411 भादवि0 की बढोत्तरी कर अभियोग अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया।

**1.9 किग्रा0 गांजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार–**

आज दिनांक 25.08.2023 को थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान चकरा मोड़ से मु0अ0सं0 मदन तिवारी पुत्र जनार्दन तिवारी निवासी सातो सेमरी मठिया थाना सेमरी जनपद बक्सर बिहार के कब्जे से 1.9 किग्रा0 नाजायज गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 174/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

**चोरी की एक मोबाइलफोन के साथ 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार–**

आज दिनांक 25.08.2023 को थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान फामिता तिराहे के पास से सद्दाम पुत्र बसीर, मो0 कासिम पुत्र सईद अहमद निवासीगण बडी कम्हरिया थाना सरायलखंसी जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की एक अदद मोबाइलफोन बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 307/23 धारा 379,411 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

**एक वांछित अभियुक्त तथा 05 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–**

आज दिनांक 25.08.2023 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौश्रान थाना मधुबन पुलिस द्वारा कस्बा दुबारी से मु0अ0सं0 205/23 धारा 498ए,304बी भादवि0 तथा 3/4 डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्त एश्वर्यी देवी पत्नी गुदडी मौर्य निवासी भगतकापुरा थाना मधुबन जनपद मऊ तथा वारंटी अभियुक्तगण थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा रामबदन पुत्र किशोर, कैलाश पुत्र हरिहर निवासीगण हरिपरा थाना दोहरीघाट, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा पूष्पराज श्रीवास्तव उर्फ चंचल श्रीवास्तव पुत्र नवलराम निवासी इटैली थाना हलधरपुर, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा लल्लन साहनी निवासी जयसिंहपुर, जितेन्द्र चौहान पुत्र सुदर्शन चौहान निवासी चांदमारी इमिलिया थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।